उत्तर प्रदेश शासन
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4
संख्या-737/18-4-2023-8(32)/83
लखनऊः दिनांकः 04 अगस्त,2023

शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत 'अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का मनाया जाना योजना' के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) मात्र की वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी संलग्न शासनादेश संख्या-409/18-4-2023-8(32)/83, दिनांक 12 मई,2023 के प्रथम प्रस्तर की चतुर्थ पंक्ति में टंकण त्रुटिवश् 'मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना' अंकित हो गया है। कृपया 'मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना' के स्थान पर **'अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का मनाया जाना योजना'** पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 12 मई,2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत् रहेंगे ।

संलग्नक : यथोक्त।

(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-737(1)/18-4-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।
3-महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-।)सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।
4- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
5-कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ ।
6-निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ।
8-वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर/लखनऊ।
9-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनु0-1, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3
10-संयुक्त सचिव(श्री अशोक कुमार तिवारी) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन को ऑनलाइन बजट एलाटमेण्ट सिस्टम में प्रविष्टि हेतु ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(दयाराम यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।